


छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, रायपुर
अधिसूचना

दिनांक 30/12/13

क्रमांक F-1Q-13/2013/C भेंवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35 /2010/16 दिनांक 01.12.2010 एवं क्रमांक एफ 10-35/2010/16 दिनांक 17.06.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार कॉलम 02 में विनिर्दिष्ट कर्मकारों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में अधिसूचित करती है अर्थात् :-

सारणी

क्र०	कर्मकारों के प्रवर्ग
01	पत्थर काटने वाले, पत्थर तोड़ने वाले एवं पत्थर पीसने वाले
02	राजमिस्त्री (मैसन) या ईटों पर रद्दा करने वाले
03	बढ़ई (कारपेटर), लकड़ी की सामाग्रियों में पेटिंग एवं वार्निशिंग करने वाले कर्मकार
04	पुताई करने वाले (पेटर)
05	फिटर या बार बेंडर
06	सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, नाली निर्माण एवं नल संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
07	इलेक्ट्रोशियन, विद्युत वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिटिंग सबधी कार्य करने वाले कर्मकार
08	मैकेनिक
09	कुएँ खोदने वाले
10	वेल्डिंग करने वाले
11	मुख्य मजदूर
12	मजदूर (रेजा कुली)



No. 06/HRD/01/11/2014
Date : 09/11/2014
Signature : Smt. Sanjana

13	स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे हुए)
14	लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले
15	कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर
16	हथौड़ा चलाने वाले
17	छप्पर डालने वाले
18	लोहार
19	लकड़ी चीरने वाले
20	कॉलकर
21	मिश्रण करने वाले (कांकीट मिक्सर मशीन चलाने वाले सहित)
22	पंप ऑपरेटर
23	मिक्सर मशीन चलाने वाले
24	रोलर चालक
25	बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी
26	चौकीदार एवं सिक्योरिटी गार्ड
27	मोजाईक पॉलिश करने वाले
28	सुरंग कर्मकार
29	संगमरमर/कड़पा पत्थर, मारबल, स्लैब कटिंग, पॉलिश एवं टाईल्स संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
30	सड़क कर्मकार
31	चट्टान तोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार
32	सन्निर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले
33	चूना बनाने की किया में लगे कर्मकार
34	बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार
35	बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण प्रक्रिया के नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार
36	ईटभट्टा, खपरा, फ्लाई ऐश, टाईल्स मजदूर
37	पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार
38	बसोंड़
39	कुम्हार
40	सीमेंट पोल, सीमेंट की जाली, गमले, पाईप, टंकी आदि बनाने वाले कर्मकार
41	रेत या गिट्टी मजदूर

42	निर्माण में अग्निशमन संयंत्र लगाने वाले श्रमिक
43	एयर कण्डीशनर, शीतलीकरण, वाष्ठीकरण यंत्र तथा गीजर जैसे उपकरणों की फिटिंग / मरम्मत करने वाले कर्मकार
44	लोहे के ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे बनाने व लगाने वाले कर्मकार
45	भवनों में कारपेट का काम करने वाले कर्मकार
46	लिफ्ट एवं एस्केलेटर लगाने तथा रखरखाव करने वाले कर्मकार
47	सोलर पैनल निर्माण करने वाले, लगाने / मरम्मत करने वाले कर्मकार
48	माइयूलर किचन निर्माण करने वाले / लगाने वाले कर्मकार
49	पी0ओ0पी0 का कार्य करने वाले, फॉल्स सीलिंग, लाईटिंग जैसे आंतरिक साज-सज्जा संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
50	सेन्ट्रींग कर्मकार
51	सुरक्षा दरवाजे, सुरक्षा यंत्र लगाने वाले एवं बनाने वाले कर्मकार
52	जल संरक्षण (Water Harvesting) से संबंधित कार्य करने वाले कर्मकार
53	काँच एवं Glass Panels की कटिंग करने और लगाने संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार
54	खेल मैदान, स्वीमिंग पुल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थल का निर्माण करने वाले कर्मकार
55	बस स्टॉप, डिपो, स्टैण्ड, रोड सिग्नल, संकेतक (साइन बोर्ड) एवं इनसे संबंधित निर्माण करने तथा लगाने वाले कर्मकार
56	फौवारा निर्माण करने एवं लगाने वाले कर्मकार
57	सार्वजनिक उद्यान, फुटपाथ निर्माण, लैण्ड स्कैपिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार

छत्तीसगढ़ के राज्यप्राल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0 आर0 मालवीय)

उप सचिव

✓ छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

५१०-१३) २०१३/१६

पृष्ठांकन क्र० / / /
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक ३०/१२/१३

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छोगो)
2. निज सहायक, अपर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छोगो)
3. सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छोगो)
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छोगो)
5. अध्यक्ष, छोगो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छोगो)
7. सचिव, छोगो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
8. समस्त कलेक्टर, जिला- (छोगो)
9. उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छोगो)
10. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी
11. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत. (छोगो)
13. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग